आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
पी0ए0 नवीरकरण वाद सं0– 02/2017–18
आवेदक– शितल मुर्मू
बनाम
16 आना रैयत, मौजा–सिमलजोडी
आदेश

23.10.2017

आवेदक द्वारा दाखिल पत्र के अवलोकन करने के पश्चात जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी, उधवा से किया गया। अंचल अधिकारी, उधवा ने अपने पत्र सं0–61/रा0, दिनांक 31.01.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया है। अवलोकन किया। तत्पश्चात अभिलेख दिनांक 03.05.2017 को संधारित कर मौजा सिमलजोडी के 16 आना रैयत को विधिवत नोटिस निर्गत कर आपत्ति की मांग की गयी। निर्धारित तिथि तक आपत्ति अप्राप्त है।

आवेदक को सुना। आवेदक का कहना है कि वे विधिवत नियुक्त प्रधान है। उनकी नियुक्त तत्कालिन अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पी0ए0 वाद सं0– 01/2000–01 के द्वारा प्रधानी पद पर किया गया है। विगत 15 वर्षो से कुशलता पूर्वक प्रधानी कार्य किये है तथा समय पर राजस्व की वसूली कर सरकार को लगान प्रदान करते आ रहें है। अतएव प्रधानी पट्टा का नवीकरण की प्रार्थना किया गया है।

अंचल अधिकारी, उधवा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से आवेदक के दावे की पुष्टि होती है।

उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त अंचल अधिकारी, उधवा के जाँच प्रतिवेदन तथा 16 आना रैयतों के आपत्ति के आभाव में मौजा सिमलजोडी, अंचल, उधवा के प्रधान शितल मुर्मू पिता स्व0 बड़का मुर्मू सा0 सिमलजोडी पो0– चौकीढ़ाब, थाना– राधानगर, जिला– साहेबगंज को पूर्व निर्गत प्रधानी पट्टा का नवीकरण दिनांक 23.10.2017 से दिनांक 22.10.2032 तक के लिए किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, उधवा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

Scanned with CamScanner